संख्या-11/2015/995/11-5-2015-218(1)/2014 टी0सी0

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 02 जून, 2015

विषय:- स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग में निष्प्रयोज्य घोषित जीप के प्रतिस्थापना स्वरूप क्रय की जाने वाली 01 महिन्द्रा बोलेरो के मूल्य में वृद्धि के कारण अन्तर की धनराशि की द्वितीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1245/नजारत/ 2015 दिनांक 06-05-2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कीमत में वृद्धि के कारण निष्प्रयोज्य घोषित जीप के प्रतिस्थापन स्वरूप 01 महिन्द्रा बोलेरो के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-463/11-5-2015-218(1)/2014 टी0सी0 दिनांक 27-03-2015 द्वारा जारी की गयी धनराशि रूपये 6,37,166.00 को समायोजित करते हुए अंतर की धनराशि रूपये 12674.00 (रूपये बारह हजार छः सौ चौहत्तर मात्र) की प्रशा0 एवं वित्तीय स्वीकृति उक्त शासनादेश दिनांक 27-03-2015 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-91 के राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण-आयोजनेत्तर-03-पंजीकरण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय मद-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई0-9-198/दस-2015 दिनांक 27 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2015/995(1)/11-5-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।

4- असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड-12 इलाहाबाद को इस निदेश के साथ प्रेषित कि शासकीय प्रयोजन हेतु उपर्युक्त महिन्द्रा बोलेरो क्रय करने के लिए फार्म-39 तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।